78

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1827–तीन/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 5–7–2006 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 423/1996–97 अपील

(1) सफीक अहमद पुत्र शैख गुल्जार

(2) अजीज अहमद(मृतक) पुत्र शैख गुल्जार

वारिस

1. आविदा वेगम पत्नि स्व.अजीज अहमद

2. मो.ममुस्तफा 3– महबूब आलम

4– मंजूर आलम 5– मकबूल आमल

6– मन्सूर आमल सभी पुत्रगण स्व.अजीज अहमद

(3) सगीर अहमद पुत्र शैख गुल्जार

(4) तरीरून्तिसा पत्नि स्व. बशीर बहमद

(5) इस्लाम (6) इसराइल (7) इजरायल

(8) इब्राहिम सभी पुत्रगण रफीक मोहम्मद

(9) मु.बुटन पत्नि रफीक मोहम्मद

सभी निवासी ग्राम बैढ़न तहसील सिंगरोली

जिला सिंगरोली मध्य प्रदेश

विरूद्व

1– रफीक अहमद पुत्र इनामवक्स

2– शेख लल्लू उर्फ सैफुलल्ला पुत्र शेख अब्दुल्ला

3– शैफुल्ला निसा पत्नि स्व. जमीर मोहम्मद

4– जलिलुन्निसा पत्नि स्व. जमीर मोहम्मद

5– शकीला खातून पुत्री जमीर मोहम्मद

6– परवीन खातूल पुत्री जमीर मोहम्मद

7– जैमन्निसा पुत्री फकीर मोहम्मद

8– जैमन्निसा पुत्री फकीर मोहम्मद

कृ0पृ0उ0––2

9- बदरूनिसा पत्नि फकीर मोहम्मद

10-किश्वर सुल्ताना विधवा अनवर अहमद

11- तरूनुम्मा पुत्री अनवर अहमद

12- अवरार पुत्र अनवर अहमद

13- हवीव अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद

14- अस्फाक अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद

15- अस्हाक अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद

16- फैज मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद

सभी ग्राम बैढ़न तहसील सिंगरोली जिला सिंगरोली ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री कुँअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक क-2 से 16 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 08 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 423/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सिंगरोली ने आदेश दिनांक 2-7-1994 से विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया। तहसीलदार सिंगरोली के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 64/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-9-1997 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 423/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2006 से अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली का आदेश दिनांक 2-9-97 निरस्त करते हुये विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार सिंगरोली का नामान्तरण आदेश दिनांक 2-7-1994 यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के

तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने मान0 जिला न्यायाधीश सीधी के प्रकरण क्रमांक 17/91 विविध में पारित आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत कर तद्नुसार निर्णय किये जाने की मांग रखी, जो भू अर्जन अधिकारी (अपर कलेक्टर) बैढ़न द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 703/1 रकबा 0.247 हैक्टर पर अवार्ड पारित करने के संबंध में है। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन पर यह निर्विवाद है कि तहसीलदार सिंगरोली ने आदेश दिनांक 2-7-1994 से विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 423/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2006 से अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 64/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-9-1997 को त्रुटिपूर्ण पाते हुये निरस्त किया है। जहॉ तक माननीय जिला न्यायाधीश सीधी के प्रकरण क्रमांक 17/91 विविध में पारित आदेश के पालन का प्रश्न है ? माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण पक्षकार माननीय जिला न्यायाधीश सीधी के प्रकरण क्रमांक 17/91 विविध में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करके कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है परन्तु यह मामला पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण आदेश पर आधारित होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 423/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2006 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 423/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-7-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर